प्रसव के दो दिन बाद प्रसूता की मौत

अस्पताल से दे दी गई थी छुट्टी, दो दिन बाद बिगड़ी तबीयत तो मुरादाबाद ले गए परिजन

संवाद न्यूज एजेंसी

स्योहारा। नगर के एक निजी नर्सिंग होम में हुए प्रसव के दो दिन बाद प्रसूता की मुरादाबाद के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने महिला का शव नर्सिंग होम के बाहर रखकर चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया।

थाना क्षेत्र के गांव अलादीनपुर निवासी मोनिका (23) पत्नी अरविंद को परिजनों ने 14 मई को नगर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था।

उसी रात महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया। परिजनों के अनुसार 16 मई को प्रसूता और नवजात को स्वस्थ देखते हुए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

बताया गया कि घर पहुंचने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर उसे उपचार के लिए मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सोमवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को स्योहारा लाए और जिस नर्सिंग होम में प्रसव हुआ था, उसके सामने रखकर चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत कराया। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि परिजनों के आग्रह पर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। परिजनों ने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से भी इन्कार किया है।

अस्पताल के बाहर हंगामा करते परिजनों को समझाती पुलिस। संवाद

बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने का लिया संकल्प

बिजनौर। शहर को पूरी तरह कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सोमवार संकल्प लिया गया।

पालिका के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चेयरपर्सन इंदिरा सिंह और ईओ विकास कुमार ने कुपोषित बच्चों को पोषण आहार किट बांटी। इंदिरा सिंह ने कहा कि सभी के प्रयासों से शहर में कुपोषण तेजी से घट रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बिजनौर पूरी तरह कुपोषण मुक्त हो जाएगा।

ईओ विकास कुमार ने कहा कि मार्च में कुपोषित बच्चों की संख्या 150 थी, अप्रैल में यह घटकर केवल 77 रह गई है। इनमें भी 13 अति कुपोषित और 64 मध्यम कुपोषित श्रेणी के हैं। इसके बाद पालिका प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल और बारात घर स्वामियों के साथ अपशिष्ट निस्तारण (कचरा प्रबंधन) को लेकर एक अहम बैठक की। पालिका अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी शादीघर संचालक अपने परिसर से निकलने वाले गीले कूड़े का निस्तारण अंदर ही करेंगे। सूखा कूड़ा पालिका की गाड़ियों को देना होगा। संवाद

बलिया से फरीदाबाद के बाद हरिद्वार में ढूंढ रहा था ठिकाना

अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पकड़ा गया राजकुमार सिंह ठिकाना बदलने की फिराक में था। पहले वह बलिया से फरीदाबाद में पहुंचा और अब हरिद्वार में सुरक्षित इंतजाम की तलाश में था। एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि सीबीआई की जांच के बाद ही अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे।

छपार पुलिस के सहयोग से आरोपी को टोल पर पकड़ा गया। आरोपी दो महिलाओं के अलावा अपने पिता के साथ स्कॉर्पियो कार में सवार होकर वापस फरीदाबाद लौट रहा था। टोल पर चेकिंग के दौरान पुलिस और सीबीआई की टीम से बचने का प्रयास किया लेकिन लंबी पूछताछ के बाद आरोपी ने पहचान अपनी पहचान स्वीकार की।

इन आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी : सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने बलिया के आनंद नगर निवासी राज सिंह को अयोध्या-बस्ती राजमार्ग से गिरफ्तार किया था। इसके अलावा बिहार के बक्सर के रहने वाले उसके दो साथियों मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब चौथे आरोपी राजकुमार सिंह को छपार टोल प्लाजा से पकड़ा गया है।

बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या का मामला

राज सिंह से मिला राजकुमार सिंह का लिंक

अयोध्या से गिरफ्तार किए गए राज सिंह का कोलकाता पुलिस ने 13 दिन का रिमांड लिया था। माना जा रहा है कि राज सिंह से पूछताछ में राजकुमार सिंह का लिंक मिला। इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। उत्तर 24 परगना के बारासात स्थित कोर्ट में आरोपी को पेश कर सीबीआई रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

धान की कई बेहतर प्रजाति के बीज उपलब्ध

बिजनौर। जनपद में बासमती धान की बेहतर खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्नत किस्मों के बीज किसानों के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं।

कृषि विज्ञान व अनुसंधान केंद्र नगीना के वैज्ञानिक डॉ. केके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पूसा बासमती-1, पूसा बासमती-6 तथा पूसा बासमती-1692 जैसी उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का बीज कृषि विज्ञान केंद्र पर उपलब्ध है। इन बीजों की बिक्री 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है।

उन्होंने बताया कि ये प्रजातियां बेहतर चावल गुणवत्ता, अधिक उत्पादन तथा बाजार में अच्छी मांग के लिए जानी जाती हैं। किसान इन किस्मों की खेती कर कम लागत में बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि इच्छुक किसान समय रहते कृषि विज्ञान केंद्र नगीना पहुंचकर बीज प्राप्त कर लें, ताकि समय पर धान की बुआई की जा सके। उन्होंने किसानों से प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि इससे फसल रोगों का खतरा कम होता है। संवाद

अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते भाकियू टिकैत के कार्यकर्ता। संवाद

बिजली संबंधी समस्या को लेकर धरना दिया

संवाद न्यूज एजेंसी

नगीना। बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बिजली दफ्तर पर धरना दिया। अधिशासी अभियंता द्वारा एक सप्ताह के अंदर समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त हो गया।

भाकियू (टिकैत) के कार्यकर्ता सोमवार को बिजली समस्याओं को लेकर तहसील अध्यक्ष गुरमेज सिंह उर्फ सोनू विर्क के नेतृत्व में विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर पहुंचे विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता को बिजली समस्याओं से संबंधित पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।

किसान संघ ने मिट्टी के अवैध खनन की एसडीएम से शिकायत की

नजीबाबाद। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को मांग पत्र सौंप कर गांव अभिपुरा क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन किसान हित में रुकवाने की मांग की। किसानों ने ओवरलोड डंपरों से संपर्क मार्ग खस्ताहाल होने का आरोप लगाया भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सरजीत सिंह, मंत्री अतुल कुमार के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचा। किसानों ने एसडीएम आशुतोष राम प्यारे जयसवाल को कांगल सोती के पास अभिपुरा क्षेत्र में अंधेरा होते ही मिट्टी का अवैध खनन होने की शिकायत की। किसान संघ का आरोप था कि ओवरलोड डंपरों के आवागमन से ग्रामीण और किसानों का आवागमन का मार्ग खस्ताहाल हो रहा है। धूल आदि उड़ने बदहाल मार्ग के आसपास की फसल प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी है। संवाद

पंचायत चुनाव में देरी की आशंका पर प्रधानों ने उठाई कार्यकाल बढ़ाने की मांग

हल्दौर। ग्राम पंचायत चुनाव समय पर न होने की आशंका के बीच क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई। प्रधानों का कहना है कि यदि चुनाव प्रक्रिया में विलंब होता है तो गांवों में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही कार्य जारी रखने का अवसर दिया जाए। सोमवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सचिन मलिक के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्राम प्रधान विकास खंड कार्यालय पहुंचे और बीडीओ सोनी पांडेय को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। संवाद

छत से गिरकर युवक घायल

रेहड़। गांव कालीगढ़ में छत पर सोया युवक आंगन में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव निवासी आकाश (22) पुत्र स्व. दिनेश सिंह भीषण गर्मी के चलते रविवार को अपने मकान की छत पर सोया था। छत पर रेलिंग नहीं थी। रात लगभग 11 बजे लघुशंका के लिए उठने पर अचानक संतुलन बिगड़ने से आकाश अपने घर के आंगन में जा गिरा। पक्के फर्श पर गिरने के कारण आकाश को गुम चोटें आई हैं। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। संवाद

अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज

नहटौर। प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए सोमवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया। हल्का लेखपाल ब्रह्म कुमार रवि और कस्बा इंचार्ज अशोक मलिक ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे मोहल्ला हाथी वाला मंदिर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली साधारण मिट्टी का भराव करते हुए मिली। टीम ने चालक से मिट्टी परिवहन संबंधी वैध प्रपत्र और अनुमति पत्र मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। संवाद

हाईवे पर सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे

जलालाबाद/नजीबाबाद। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं यातायात पुलिस ने यातायात सुरक्षा व निगरानी बढ़ाने को लेकर जलालाबाद क्षेत्र में मेरठ-पौड़ी हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं। क्षेत्र में वाहन चालकों के यातायात नियम उल्लंघन को लेकर हाईवे अथॉरिटी ने कदम उठाया है। जलालाबाद क्षेत्र से मेरठ-पौड़ी व हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे गुजरते हैं। जलालाबाद देव फिलिंग पेट्रोल पंप के सामने हाईवे पर चारों ओर से वाहनों का आवागमन होता है। नहर पटरी मार्ग व फ्लाईओवर की सर्विस रोड आवागमन करने वाले वाहन यातायात नियम का उल्लंघन कर गलत दिशा से गुजर रहे हैं। करीब एक सप्ताह पूर्व हाईवे अथॉरिटी ने हादसे की आशंका को देखते हुए हाईवे कट बंद किया था। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

नीलामी सूचना E-Auction के द्वारा

मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- **cobznsam@pnb.co.in, cobijnore@pnb.co.in**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपत्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
	ई–नीलामी दिनांक 08.06.2026 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक				
1	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्री सुल्तान अहमद उर्फ श्री अब्दुल हक पुत्र श्री अब्दुल शक्कूर **(ऋणी और बंधककर्ता)**, श्री फैसल पुत्र श्री सुल्तान अहमद उर्फ श्री अब्दुल हक **(सह-ऋणी)**।	बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति (दुकान) स्थित मौहल्ला इस्लाम नगर, कस्बा जलालाबाद, परगना और तहसील नजीबाबाद बिजनौर (उ.प्र.) माप 13.30 वर्गमीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री सुल्तान अहमद उर्फ श्री अब्दुल शक्कूर) रिकार्ड बही नं. 01, जिल्द नं. 1347/1359, पेज नं. 100/29-32, सीरियल नं. 426, दिनांक 29.01.2000, सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद, बिजनौर पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्व- अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम- सड़क, उत्तर- अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण- अन्य की सम्पत्ति।	(ए) 25.11.2024 (बी) रू0 **6,89,661.00** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 12,27,000/- रू0 1,22,700/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्री नरेश तोमर पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह तोमर। श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री नरेश तोमर।	बंधक आवासीय संपत्ति आदर्श नगर–बी, ब्लॉक, मौजा ततारपुर लालू, नजीबाबाद, बिजनौर (उ.प्र.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 83.64 वर्ग मीटर है, (जो श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री नरेश तोमर के नाम दर्ज है) बही संख्या 01, जिल्द संख्या 10480, पृष्ठ संख्या 307 से 318, क्रम संख्या 4926, दिनांक 08.04.2021, उप–पंजीयक कार्यालय नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) पर पंजीकृत है। सीमाएँः– पूर्वः अंजू का मकान, पश्चिमः आराजी राजवाला, उत्तरः 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः आराजी संगीता देवी।	(ए) 15.07.2025 (बी) रू0 **9,48,445.40** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 10,12,000/- रू0 1,01,200/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
3	**शाखाः हल्दौर, बिजनौर** श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री अब्दुल करीम **(उधारकर्ता/बंधककर्ता)**। श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय संपत्ति जो ग्राम शाहनगर, परगना दरानगर, तहसील एवं जिला- बिजनौर (उ.प्र.) में स्थित है, जो श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री अब्दुल करीम के नाम दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 106.78 वर्ग मीटर है। बही संख्या 01, जिल्द संख्या 10736, पृष्ठ संख्या 53 से 78, क्रम संख्या 7621, दिनांक 21.08.2020, उप-पंजीयक कार्यालय बिजनौर, जिला बिजनौर (उ.प्र.)। सीमाएँः- पूर्वः मोहम्मद शाहिद का मकान, पश्चिमः 9 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 9 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः दयाराम सिंह का मकान।	(ए) 12.09.2024 (बी) रू0 **5,22,128.00** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 10,13,200/- रू0 1,01,320/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
4	**शाखाः कासिमपुर गढ़ी** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री अभिलाष परमान पुत्र आदेश परमार, **गारन्टरः** श्री शादाब खान पुत्र मासी खान।	बंधक आवासीय मकान स्थित ग्राम- सीरवासुचंद परगना अफजलगढ़, तहसील धामपुर, जिला- बिजनौर, कुल माप क्षेत्रफल 55.28 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी अभिलाष परमान पुत्र आदेश परमान) बही नं0 01, जिल्द नं0 10741, पेज नं0 97 से 124, क्र0सं0 13274, दिनांक 04.09.2017, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस धामपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः विक्रेता का मकान, पश्चिमः 42 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः ठाकुर रमवीर सिंह का मकान, दक्षिणः शिव मंदिर की आराजी।	(ए) 12.08.2024 (बी) रू0 18,98,625.08 + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 21,90,000/- रू0 2,19,000/- रू0 20,000/-	ज्ञात नहीं
5	**शाखाः नजीबाबाद कोटद्वारा रोड** श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री दिनेश शर्मा **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री राजपाल सिंह **(सह-ऋणी)**, श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री सुनील दत्त शर्मा **(गारन्टर)**, श्रीमती विमल गुप्ता पत्नी श्री नरेश चन्द गुप्ता **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय मकान स्थित आदर्श नगर, बी-ब्लॉक, मौजा- तातरपुर लालू, परगना एवं तहसील-नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (उ0प्र0), कुल माप क्षेत्रफल 48.04 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री दिनेश शर्मा, बही नं0 1, जिल्द नं0 8229, पेज नं0 337-380, क्र0सं0 5207, दिंक 05.06.2017 पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पूर्वः रोहताश का मकान, पश्चिमः मोहन लाल का मकान, उत्तरः 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः विमल गुप्ता का मकान।	(ए) 25.11.2024 (बी) रू0 13,54,187.95 + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 11,05,000/- रू0 1,10,500/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
6	**शाखाः कोतवाली** श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम सिंह **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री अरूण कुमार पुत्र श्री शव राम सिंह **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित ए/11, आदर्श नगर (तातारपुर लालू), परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम सिंह), कुल माप क्षेत्रफल 199.50 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 10041, पेज नं0 1 से 34, क्र0सं0 5697, दिनांक 30.07.2020, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएँः- पूर्वः गुलाब सिंह का मकान, पश्चिमः रमेश चन्द्र का मकान, उत्तरः कृपाल एवं लखन का मकान, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 14.08.2024 (बी) रू0 10,27,749/- + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 29,94,000/- रू0 2,99,400/- रू0 30,000/-	ज्ञात नहीं
7	**शाखाः जलालाबाद** श्रीमती पूजा पत्नी श्री ब्रजपाल सिंह **(उधारकर्ता/बंधककर्ता)** श्री सुमित करकेट्टा पुत्र श्री इसिडोर करकेट्टा **(गारन्टर)**।	बंधक सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहजहांपुर, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.), कुल क्षेत्रफल 61.30 वर्ग मीटर, (श्रीमती पूजा पत्नी श्री ब्रजपाल सिंह के नाम दर्ज)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11477, पृष्ठ संख्या 365-378, क्रमांक 6629, दिनांक 25.05.2023 को उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः पवन कुमार का मकान, पश्चिमः रोशन सिंह का मकान, उत्तरः राजेंद्र का मकान, दक्षिण+ 8 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 06.09.2025 (बी) रू0 9,40,274.99 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 23.08.2025 (सी) सांकेतिक	रू0 8,08,350/- रू0 80,835/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
8	**शाखाः जलालाबाद** श्री सुमित कुमार पुत्र श्री तुलाराम सिंह **(ऋणी एवं बंधककर्ता)**, ग्राम- अहमदपुर सादात, जोगीरामपुरी, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला- बिजनौर, (उ0प्र0)- 246763	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा संख्या 382, स्थित ग्राम अहमदपुर सादात, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.)। कुल क्षेत्रफल 86.25 वर्ग मीटर (श्री सुमित कुमार पुत्र श्री तुलाराम सिंह के नाम दर्ज)। बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11737, पृष्ठ संख्या 85-96, क्रमांक 15829, दिनांक 06.12.2023 को उप-पंजीयक कार्यालय, नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ.प्र.) में दर्ज है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः 14 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अनुप कुमार का खेत, उत्तरः आराजी हरकिशन सिंह, दक्षिणः आराजी तुलाराम सिंह।	(ए) 29.09.2025 (बी) रू0 10,25,754.14 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 10.09.2025 (सी) सांकेतिक	रू0 9,99,600/- रू0 99,960/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
9	**शाखाः बुन्दकी, बिजनौर** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रमेश एवं श्रीमती मनीषा रानी पत्नी श्री कुलदीप सिंह (ऋणी/बंधककर्ता), श्री जोगेन्द सिंह पुत्र श्री बैजोर सिंह (गारन्टर)।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 76 का भाग, ग्राम धनौरा, ग्रीन वैली कालोनी के पास, परगना एवं तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यूपी), (सम्पत्ति स्वामती श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह एवं श्रीमती मनीषा रानी पत्नी श्री कुलदीप सिंह), कुल क्षेत्रफल 43.49 वर्ग मीटर, पंजीकृत बही नं0 01, जिल्द नं0 9697, पेज नं0 21 से 44, सिरियल नं0 13733, दिनांक 16.11.2019, सब रजिस्ट्रार कार्यालय नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यूपी)। समीऐंः पूर्वः 15 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः तेजेन्द्र कौर एवं छोटे का प्लॉट, उत्तरः रूबी का प्लॉट, दक्षिणः सुरेश का प्लॉट।	(ए) 27.12.2022 (बी) रू0 **10,16,716.00/-** + ब्याज और अन्य खर्चे 5. (सी) सांकेतिक	रू0 6,80,110/- रू0 68,011/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
10	**शाखाः बुंदकी, बिजनौर** श्रीमती रूबी पत्नी श्री अकील बेग **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री निजामुद्दीन पुत्र श्री शर्फुद्दीन **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- कलालन, कस्बा नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (उ0प्र0) (सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रूबी पत्नी श्री अकील बेग, कुल माप क्षेत्रफल 33.88 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 9993, पेज नं0 307 से 338, क्र0सं0 4482, दिनांक 24.06.2020, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः शफीक अहमद का मकान, पश्चिमः 4 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अकील बेग का मकान, दक्षिणः शद्दीक का मकान।	(ए) 23.05.2025 (बी) रू0 **9,52,186.64** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 10,95,000/- रू0 1,09,500/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
11	**शाखाः नजीबाबाद चौक** **ऋणी/बंधककर्ताः** श्रीमती रेशमा परवीन पत्नी श्री रईस अहमद, सह-ऋणीः श्री रईस अहमद पुत्र श्री अनीस अहमद, **गारन्टर : 1.** श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री मांगू सिंह, **2.** श्री ऐजाज गौहर खान, जोहर पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार खान गौहर।	बंधक आवासीय मकान, स्थित मौहल्ला- वाहिद नगर, नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0), सम्पत्ति स्वामी श्रीमती रेशमा परवीन पत्नी रईस अहमद, कुल माप क्षेत्रफल 88.30 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 4591, दस्तावेज नं0 5914, पेज नं0 255-272, दिनांक 28.05.2010, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः ग्राम समाज का तालाब, पश्चिमः अनिर्मित 12.6 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अजमल खान की अराजी, दक्षिणः विक्रेता साजिदा खातून की अराजी का शेष भाग।	(ए) 12.06.2024 (बी) रू0 16,16,489.48 + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 24,19,950/- रू0 2,41,995/- रू0 20,000/-	ज्ञात नहीं
12	**शाखा कोतवाली, बिजनौर** **ऋणी बंधककर्ताः** श्री पतराम सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, **गारन्टरः** श्री तेजस्वी कुमार पुत्र श्री पतराम सिंह।	बंधक आवासीय मकान स्थित तारापुर लालू, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। (सम्पत्ति स्वामी श्री पतराम सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह), कुल माप क्षेत्रफल 91.96 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 1413, पेज नं0 330 एवं अतिरिक्त बही नं0 01, जिल्द नं0 1514, पेज नं0 243 से 246, क्र0सं0 96, दिनांक 07.01.2022, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- उत्तरः रास्ता, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः सुंदर लाल की आराजी, पश्चिमः 9 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 01.10.2022 (बी) रू0 **09,17,750.10** + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 15,05,000/- रू0 1,50,500/- रू0 20,000/-	ज्ञात नहीं
13	**शाखाः कोतवाली, बिजनौर** श्री विमल कुमार पुत्र श्री सुख लाल सिंह **(ऋणी एवं बंधककर्ता)** एवं श्री ऋषि राम पुत्र श्री मुन्ने सिंह **(गारन्टर)**।	आवासी सम्पत्ति स्थित ग्राम- धनौरा, हरि ओम नगर, परगना एवं तहसील- नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0), माप क्षेत्रफल 33.45 वर्ग मीटर (सम्पत्ति स्वामी श्री विमल कुमार पुत्र श्री सुख लाल सिंह), बही नं0 1, जिल्द नं0 11038, पेज नं0 287-298, क्र0सं0 9618, दिनांक 18.07.2022, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस- नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः विक्रेता की आराजी, पश्चिमः विक्रेता की आराजी, उत्तरः विक्रेता की आराजी, दक्षिणः 25 फीट चौड़ा रास्ता।	(ए) 09.06.2025 (बी) रू0 9,07,202.96 + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 3,26,400/- रू0 32,640/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं
14	**शाखाः बुंदकी, बिजनौर** श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री अब्दुल सलाम **(ऋणी/बंधककर्ता)**, श्री असगर पुत्र श्री कल्लू **(गारन्टर)**।	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित मौहल्ला-पठानपुरा, कस्बा नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (उ0प्र0) (सम्पत्ति स्वामी श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री अब्दुल सलाम), कुल माप क्षेत्रफल 60.43 वर्ग मीटर, बही नं0 01, जिल्द नं0 7917, पेज नं0 195 से 224, क्र0सं0 12212, दिनांक 03.09.2016, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0) पर पंजीकृत है। सीमाएँः- पूर्वः अकबर एवं इब्राहिम का मकान, पश्चिमः असगर का मकान एवं 5 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अकबर का मकान एवं 5 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः असगर एवं हाजी नसीम का मकान।	(ए) 23.05.2025 (बी) रू0 8,64,806.41 + ब्याज और अन्य खर्चे (सी) सांकेतिक	रू0 9,30,000/- रू0 93,000/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होंने ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा। 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिेत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार झा, मो0 नं0 9634200162 से पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, शर्शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों जैसे बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/आयकर आदि को सत्यापित करें और संपत्ति की प्रकृति, विवरण, शर्तों, बाधा, लाइन, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। 15. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थिगत/निषेध/निरोधक आदेश के लंबित रहने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 16. बिक्री पर रोक/रद्दीकरण' ओआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक के मामले में, नीलामी को या तो स्थगित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, बिक्री में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान, मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 17. बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवके है। 18. ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी की दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी। नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें- **9634200162.** 19. किसी भी बोली वृद्धि को भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी दोनों पर आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

हिन्दी पाठ में कोई विसंगति होने पर अग्रेजी अखबार Times of India पाठ को प्रमाणित माना जायेगा।

दिनांकः 18.05.2026 | स्थान – बिजनौर | प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार